

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद आगरा में रिलाइन्स बी०पी० मोबिलिटी लि० द्वारा आगरा-जगनेर मार्ग (एस०एच०-39) किमी० 243 (चैनेज 242.576) के खसरा संख्या-316 ग्राम नगला दूल्हे खों तहसील खेरागढ पर नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2179434 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/156794/2022)

राज्य सरकार की सिफारिशें – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-209/81-2-2023-800(203)/2023 दिनांक 27 जुलाई 2023 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकृत टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर
Signed by आशीष तिवारी
Date: 26-07-2023 19:12:18
Reason: Approved

()

नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन
उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या-पी-209/81-2-2023-800(203)/2023

प्रेषक,

आशीष तिवारी

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 27 जुलाई 2023

विषय- जनपद आगरा में रिलाइन्स वी0पी0 मोबिलिटी लि0 द्वारा आगरा-जगनेर मार्ग (एस0एच0-39) किमी0 243 (चैनेज 242.576) के खसरा संख्या-316 ग्राम नगला दूल्हे खों तहसील खेरागढ पर नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2179434 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/अप्रोच/156794/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-40/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/156794/2022 दिनांक 06.07.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा में रिलाइन्स वी0पी0 मोबिलिटी लि0 द्वारा आगरा-जगनेर मार्ग (एस0एच0-39) किमी0 243 (चैनेज 242.576) के खसरा संख्या-316 ग्राम नगला दूल्हे खों तहसील खेरागढ पर नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.2179434 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आशीष तिवारी

Date: 26-07-2023 19:11:56

Reason: Approved

(आशीष तिवारी)

सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक आगरा वृत्त आगरा।
3. प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा।
4. राज्य प्रमुख रिलायन्स वी0पी0 मोबिलिटी लि0 पेट्रोलियम डिपार्टमेंट द्वितीय फ्लोर गुरुग्राम।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)

सचिव।